194

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः— श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 401—दो / 2017 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 27—01—2017 के द्वारा न्यायालय तहसीलदार बुधनी जिला सीहोर के प्रकरण क्रमांक 09 / अ—6 / 2016—17.

....

शरीफ राईन पुत्र स्व0 हाजीखुदावक्श
निवासी बालागंज मौहल्ला होशंगाबाद
तहसील व जिला होशंगाबाद म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

1— राजेश पाल आत्मज देवचंद गाडरी
निवासी ग्राम तालपुरा माना
तहसील बुधनी जिला सीहोर

2— सतेन्द्र पाल सिंह आत्मज करन सिंह जाट
निवासी न्यू कालोनी बुधनी तहसील बुधनी
जिला सीहोर म0प्र0

3— श्रीमती शबनम पुत्री श्री अल्लवक्श
पत्नि मोहम्मद आशिक
निवासी महाजनी बार्ड नरसिंहपुर तह0
व जिला नरसिंहपुर म0प्र0

———अनावेदकगण

....

श्री प्रदीप श्रीवासतव, अभिभाषक, आवेदक
श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा अभिभाषक अनावेदकगण

....

आदेश

(आज दिनांक 22-8-17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय तंहसीलदार बुधनी जिला सीहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.1.2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक राजेश पाल तनय देवनंद निवासी तालपुरा द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम बुधनी स्थित भूमि खसरा कमांक 132/10 रकवा 1.19 एकड़ भूमि का विकयपत्र के माध्यम से नामांतरण चाहा गया था । नामांतरण के पूर्व मो0 शरीफ राईन द्वारा आपत्ति पेश की गई। आपत्तिकर्ता द्वारा अपने तर्क में कहा था कि आपत्तिकर्ता को अनावेदक के रूप संयोजित न करने प्रश्नगत भूमि खसरा कमांक 132/10 रकवा 1.19 है0 के संबंध में माननीय व्यवहार न्यायालय न्यायाधीश वर्ग–2 बुधनी में व्यवहारवाद लंबित रहने न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बुधनी के समक्ष अपील लंबित रहने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत विकय पत्र में विकेता के प्रश्नगत अविभाजित संपत्ति में 1/7 का हिस्सेदार न होने के आधार पर आवेदन को निरस्त करने अथवा स्वयं को प्रकरण में अनावेदक के रूप में संयोजित करने की प्रार्थना की गई थी, जिसे तहसीलदार बुधनी द्वारा माननीय व्यवहार न्यायालय अथवा वरिष्ठ न्यायालय से स्थगन नहीं होने के कारण कार्यवाही जारी रखी एवं आपत्तिकर्ता द्वारा कोई सक्षम दस्तावेज प्रस्तुत न किये जाने के कारण एवं नामांतरण प्रकिया राजस्व अभिलेख को अद्यतन रखने के लिये की जाती है। तहसीलदार द्वारा आपत्तिकर्ता की आपत्ति निरस्त किये जाने से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस में तर्क दिया गया है कि उत्तरवारी कमांक 2, 3 व 4 से उत्तरवादी कमांक 1 ने अलग अलग विकय पत्रों के माध्यम से ग्राम बुधनी जिला सीहोर की कृषि भूमि पर नामांतरण हेतु एक ही संयुक्त आवेदन पेश किया इस आवेदक को जानकारी प्राप्त होने पर प्रत्येक विकय पत्र के लिये पृथक–पृथक आपत्तियां आवेदक की ओर से प्रस्तुत की गई किन्तु एक ही प्रकरण में समस्त विकय पत्र के आधार पर प्रकरण लंबित होने से एक ही प्रकरण में समस्त आपत्तियों पर सुनवाई की गई । आपत्तिकर्ता का मुख्य आधार आपत्ति में यह था कि वह सह स्वामी होते हुये भी एवं राजस्व खसरे में आपत्तिकर्ता का नाम राजस्व दस्तावेजों में दर्ज होते

हुये भी आपत्तिकर्ता को अर्थात इस प्रकरण में पक्षकार बनाये बगैर एवं उसे सुनवाई का अवसर दिये बगैर प्रकरण में कोई कार्यवाही विधि अनुसार नहीं की जाना चाहिये। आपत्तिकर्ता का तर्क यह भी है कि जानकारी प्राप्त हुई कि आवेदकगणों के पक्ष में अनावेदकगण द्वारा निष्पादित विधि विरूद्व और शून्य विकय पत्रों के आधार पर ग्राम बुधनी तहसील बुधनी जिला सीहोर की खसरा कमांक 132/10 रकवा 3.482 है0 याने 8.60 एकड में से 1/7 अर्थात् 3.385 है0 में से 0.483 है0 याने 1.19 एकड़ रकबे के प्रत्येक विकय पत्र के आधार पर उक्त रकबों की कृषि भूमि के लिये नामांतरण की कार्यवाही आवेदक द्वारा पेश की गई है। उनके द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि उक्त समस्त प्रकरणों की जानकारी विकेता अर्थात इस प्रकरण के आवेदकगणों को भी है विधि का यह सुस्थापित सिंद्वात है कि जिस वादग्रस्त संपत्ति के लिये व्यवहार वाद लंबित हो उक्त वादग्रस्त संपत्ति या उसके किसी अंश के लिये निष्पादित विकय पत्र संपत्तिं अंतरण अधिनियम के तहत आरंभतः शून्य होती है इस तरह इस नामांतरण प्रकरण को जिस विकय पत्र के आधार पर पेश किया गया है वह विकय पत्र के आधार पर पेश किया गया है वह विकय पत्र आरंभतः शून्य होने के कारण उसके आधार पर किसी प्रकार की नामांतरण कार्यवाही संभव नहीं है। उनके द्वारा तर्क में यह भी कहा गया है कि प्रश्नाधीन संपत्ति के संबंध में आज दिनांक तक कोई बटवारे की कार्यवाही नहीं हुई है और अविभाजित संपत्ति के संबंध में निष्पादित विकय पत्र भी शून्य होता है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार बुधनी का आदेश 27.1.17 का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि आपत्तिकर्ता की आपत्ति निराधार होने से निरस्त की गई है आपत्तिकर्ता तथा विकेतागणो के पिता अल्लावक्स के द्वारा संयुक्त रूप से धारित करना बताया है। आपत्तिकर्ता द्वारा उक्त संयुक्त सह खाते की भूमि मे से स्वयं का हिस्सा अपने पुत्र मो0 आजम को पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से विकय करना एवं 6 एकड़ अतिरिक्त भूमि का डायवर्सन करा कर भिन्न भिन्न व्यक्तियों को विकय कर देने के कारण स्वयं का संपूर्ण हिस्सा पूर्व में ही विकय किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि तहसीलदार बुधनी का आदेश दिनांक 9.9.2014 प्रस्तुत किया है जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि विकेता ने अपने हिस्से से अधिक भूमि विकय कर दी है । अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि

आवेदक की निगरानी सारहीन होने से तहसीलदार बुधनी का अंतिरिम आदेश दिनांक 27.1.17 उचित होने से स्थिर रखा जावे तथा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जावे।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में एवं लेखी बहस में उल्लेख किया गया है। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का वारीकी से अध्ययन किया गया प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में आपत्तिकर्ता को अनावेदक के रूप संयोजित न करने प्रश्नगत भूमि खसरा कमांक 132/10 रवका 1.19 है0 के संबंध में माननीय व्यवहार न्यायालय न्यायाधीश वर्ग–2 बुधनी में व्यवहारवाद लंबित रहने न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बुधनी के समक्ष अपील लंबित रहने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत विकय पत्र में विकेता के प्रश्नगत अविभाजित संपत्ति में 1/7 का हिस्सेदार न होने के आधार पर आवेदन को निरस्त करने अथवा स्वयं को प्रकरण में अनावेदक के रूप में संयोजित करने की प्रार्थना की गई थी, जिसे तहसीलदार बुधनी द्वारा माननीय व्यवहार न्यायालय अथवा वरिष्ठ न्यायालय से स्थगन नहीं होने के कारण कार्यवाही जारी रखी एवं आपत्तिकर्ता द्वारा कोई सक्षम दस्तावेज प्रस्तुत न किये जाने के कारण आपत्ति निरस्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। परिणामस्वरूप तहसीलदार बुधनी जिला सीहोर के प्रकरण क्रमांक 09/अ–6/2016–17 में पारित अंतिरिम आदेश 27.1.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है । अतएव आवेदक/आपत्तिकर्ता की निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर